न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस

अपील संख्याः 24/22 निर्णय दिनांकः 20–12–2022
(जीसीएमएस संख्या 2022/00113)

1. मालाराम पुत्र प्रेमाराम जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. मनीराम पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. एमजीबी शाखा जरिये शाखा प्रबन्धक, एमजीबी बैंक शाखा हनुमानगढ़।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश सहायक कलेक्ट एवं उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा दिनांक 28–06–2021

<u>उपस्थितः–</u>

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री विजय पारिक, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1
3. श्री धीरज चौधरी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने यह अपील सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा के आदेश दिनांक 28–06–2021 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि तहसील पीलीबंगा के चक 13 एमडब्ल्यूएम के खाता संख्या 22 के पत्थर नम्बर 110/365 के किला नम्बर 14, 17, 24, 25 की 1.518 हेक्टर भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। जिस पर आवागमन हेतु चक 13 एमडब्ल्यूएम के खाता संख्या 18 के पत्थर नम्बर 110/264 के किला नम्बर 21 ता 25 में स्वीकृतशुदा रास्ते से अप्रार्थी संख्या 1 की चक 13 एमडब्ल्यूएम के खाता संख्या 23 के पत्थर नम्र 110/365 के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 5 व 6 के पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण दिशा की और 1–1 बिस्वा रास्ता मंजूर करवाने हेतु अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। जिस पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्/अप्रार्थी का जवाब बन्द करते हुए संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की गई। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा कथन किया गया कि धारा 251 ए के तहत रास्ते की मांग किये जाने पर नियम 69 के तहत स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है किः–

Enquiry and disposal of application – On receipt of an application in form 1, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected an- officer not below the rank of the Inspector Land Record and invite objection from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary.,

इस प्रकार उपरोक्त नियम में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि रास्ते की मांग किये जाने की स्थिति में उपखण्ड अधिकारी स्वयं अथवा भू–राजस्व निरीक्षक स्तर के अधिकारी से मौके की जॉच पक्षकारों की उपस्थिति में करवाते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। प्रस्तुत

प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में मौके की रिपोर्ट पटवारी द्वारा तैयार की गई है। जिस पर तहसीलदार द्वारा अग्रेषित पत्र के माध्यम से उक्त रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित की गई है। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय अपीलांट् को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा धारा 251 ए के आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा आगे कथन किया गया कि धारा 251ए के तहत नये रास्ते की मांग तभी की जा सकती है जब मांगकर्ता के पास अन्य कोई रास्ता आवागमन हेतु उपलब्ध नहीं हो। जबकि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को उनकी आराजी में आवागमन हेतु चक 13 एमडब्ल्यूएम के पत्थर नम्बर 110/365 के किला नम्बर 3 व 8 में से रास्ता उपलब्ध था तथा उक्त रास्ता स्वीकृत किया जा सकता था। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर गौर किये बिना ही मात्र प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के कथन मात्र पर विधि विरूद्व तरीके से अपीलांट् की आराजी में से रास्ता स्वीकृत किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत रास्ते की मांग तभी की जा सकती है जब रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो, तथा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो। प्रकरण में चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपनी जोत में आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है, लिहाजा प्रस्तुत प्रकरण में आदेश जैर अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, की धारा 251 जिसमें किसी काश्तकार को आत्यांतिक आवश्यकता के आधार पर ही रास्ता दिये जाने के प्रावधान निहित है, की मंशा के विपरीत होने से आदेश जैर अपील खारिज योग्य है।

उन्होनें आगे कथन किया कि वादग्रस्त भूमि को लेकर रेस्पोडेन्ट के अधिकारों की धोषणा हेतु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रकरण जैरकार है। जब तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उनके समक्ष जैरकार प्रकरण में किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित नहीं कर दिया जाता तब तक प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त भूमि पर किसी प्रकार से रास्ते की मांग अथवा भूमि के किसी भाग से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अदालत मातहत के समक्ष उक्त तथ्य दौराने बहस प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुॅचानें की नियत मात्र से आदेश जैर

अपील पारित किया गया है। जिसकी न्याय अनुमति प्रदान नहीं करता है।

इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रास्ते नियमों की धज्जियॉ उड़ाते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार के रिकार्ड का कोई अवलोकन नहीं किया गया है। यदि अदालत मातहत द्वारा तत्समय ऐसा किया जाता तो उनके समक्ष यह स्थिति स्वमेव प्रस्तुत हो जाती की रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 को अपने खेत में आवागमन हेतु पूर्व में अन्य रास्ता उपलब्ध होने की दशा में धारा 251 'ए' के तहत वैकल्पिक रास्ता या पक्षकार की सुविधा के लिए रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। चूंकि रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है व वास्तव में इस रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब अपीलांट् को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल मात्र सुविधा के लिए अपीलांट के खेत में से रास्ता स्वीकृत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब पूर्व में रास्ता कायम है तो नया रास्ता कायम करने के आदेश 251ए आरटीए के तहत पारित नहीं किये जा सकते। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के पैरा II में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि जब अन्य खातेदार के खेत में से होकर रास्ता चाहा गया है तो अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की दशा में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। वास्तव में मौके पर नये रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2017 पेज 734 जिसमें अभिनिखित किया गया है कि धारा 251–अ–एवं नियम 69 की पालना नहीं की – मौका निरीक्षण भी पक्षकारों की उपस्थिति एवं उपखण्ड अधिकारी या भू–अभिलेख निरीक्षक के स्तर से किया जाना अपेक्षित – प्रकरण निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित।

आरआरडी 2017 पेज 515 जिसमें अभिलिखित किया गया है कि धारा 251 'क' में दो तथ्य आवश्यक है (1) रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, केवल सुविधाजनक स्थिति के लिये नहीं – (2) वैकल्पिक साधन का अभाव – मौका रिपोर्ट पक्षकारान् की उपस्थिति में गिरदावर

या उच्च अधिकारी द्वारा होना आवश्यक तथा प्रभाविक पक्षकार को सुनन जरूरी— प्रकरण प्रतिप्रेषित

आरआरटी 2019 पार्ट II पेज 1507 जिसमें अभिलिखित किया गया है कि हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण के पीछे से निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गई— 1955 के नियमों के नियम 69 का उल्लंघन— आदेश अपास्त किया।

आरआरटी 2016—17 स्प. पेज 597 जिसमें अभिलिखित किया गया है कि पक्षकारों की मौजूदगी में मौका निरीक्षण नहीं किया—मौका नक्शा भी तैयार नहीं किया— एसडीओ को पक्षकारों की मौजूदगी में रास्ते की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु मौका निरीक्षण करना चाहिये। आदेश अपास्त।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी की खातेदारी भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 13 एमडब्ल्यूएम के खाता संख्या 22/23 संवत् 2072—76, पत्थर नम्बर 110/365(8) के किला नम्बर 14 ता 17, 25 कुल 1.518 हेक्टर भूमि तक पहुँचनें के लिये कोई रास्ता स्वीकृत नहीं होने से पत्थर नम्बर 110/364 के किला नम्बर 21 ता 25 में से स्वीकृत रास्ता से बीच में आने वाली अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि खाता संख्या 23/24 संवत् 2072—2075 तादादी 4.732 हेक्टर भूमि में से पत्थर नम्बर 110/365 (8) किला नम्बर 5 व 6 की पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण की और से प्रत्येक में से 01—01 बीघा रास्ता स्वीकृत किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अप्रार्थी/अपीलांट् को तलब किया गया। अप्रार्थी/अपीलांट् जरिये अधिवक्ता अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आने पर अदालत मातहत द्वारा धारा 251 ए के प्रावधानों के तहत मौके की वास्तविक स्थिति के बाबत् रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु संबंधित तहसीलदार को लिखे जाने पर संबंधित तहसीलदार द्वारा भू—अभिलेख निरीक्षक से मौके की रिपोर्ट तैयार करवाते हुए मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् की यह आपत्ति की वादग्रस्त भूमि के

संबंध में मौका रिपोर्ट भू—अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा नहीं की गई है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत पर प्रकरण की वस्तुस्थिति की जानकारी हेतु नियमानुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त मौका रिपोर्ट धारा 69 आरटीए के प्रावधानों के तहत तैयार की गई, तथा रिपोर्ट में भूमि में से रास्ता दिया जाना उचित पाया गया तथा साथ ही यह भी अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थी को आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा यह पाये जाने पर कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी को रास्ते का आत्यांतिक आवश्यकता व अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में धारा 251 ए के तहत नया रास्ता मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute necessity & convenient) के आधार पर स्वीकृत किया गया है। रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 द्वारा अपीलाधीन आदेश की पालना निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् का यह कथन कि अदालत मातहत द्वारा धारा 251ए आरटीए के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। स्वीकार योग्य कथन नहीं होने से विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत मामलें पर चस्पा नहीं होते है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से उक्त आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट् की अपील खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2020 पार्ट II पेज 1163 जिसमें अभिलिखित किया गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 — धारा 251 — ए रेस्पोडेन्ट 'बी' को याची की भूमि से एसडीओ ने रास्ता स्वीकृत किया— याची ने कोई आपत्ति नहीं उठायी कि प्रश्नगत् भूमि बैंक के पास रहन है— आदेश यथावत रखा, आरोप में अवैधता नहीं है।

आरआरटी 2019 पार्ट I पेज 285 जिसमें अभिलिखित किया गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 — धारा 251 — ए अप्रार्थी की भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने हेतु प्रार्थना पत्र — रास्ता स्वीकृत किया। भूमि के बदले भूमि देने का प्रावधान निहित नहीं। आदेश अपास्त।

डीएनजे (राज.) 2019 पार्ट I पेज 113 जिसमें अभिलिखित किया गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 — धारा 251 — ए रेस्पोडेन्ट्स को स्वीकृतशुदा मार्ग उपलब्ध नहीं है, तथाकथित वैकल्पिक मार्ग 7 किमी. लम्बाई का है तथा नया मार्ग केवल 2 किमी, लम्बाई से होगा। यह स्वीकार करना कठिन होगा कि 7 किमी. लम्बाई में मार्ग उपलब्ध है। आदेश न तो मनमाना न प्रतिकूल व यथावत रखा।

आरआरटी 2019 पार्ट II पेज 1098 जिसमें अभिलिखित किया गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 — धारा 251 — ए प्रार्थीगण की भूमि में से नया रास्ता स्वीकृत किया — अन्य मार्ग उपलब्ध नहीं है। स्वीकृत मार्ग उचित है। हस्तक्षेप अस्वीकार किया।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्/अप्रार्थी की खातेदारी भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 13 एमडब्ल्यूएम के पत्थर नम्बर 110/365 (8) के किला नम्बर 5—6 के पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण दिशा की और 01—01 बिस्वा रास्ता किया गया है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में अपीलांट् का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपने खेत में आवागमन हेतु पूर्व में रास्ता उपलब्ध होने पर धारा 251 ए के प्रावधान की पालना नहीं की गई है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपनी जोत में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों व मौके व रिकार्ड की स्थिति के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत नजरी नक्शे का अवलोकन किया।

प्रकरण में सर्वप्रथम विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा उठाई गई आपत्ति की अदालत मातहत द्वारा धारा 251 ए के नियम 69 की पालना नहीं करते हुए आराजी जैर के संबंध में रिपोर्ट संबंधित पटवारी द्वारा पक्षकारों की अनुपस्थिति में तैयार की गई है, जबकि धारा 251ए के तहत नियम 69 की पालना किया जाना अपरिहार्य है तथा अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्/अप्रार्थी को जवाब का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इस संबंध में हमने अदालत मातहत की पत्रावली की आदेशिकाओं व उपलब्ध मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 251 ए के तहत दिनांक 24—01—2017 को प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी/अपीलांट् दिनांक 27—02—2017 को न्यायालय के समक्ष जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा अप्रार्थी/अपीलांट को जवाब हेतु 16 अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में दिनांक 07—03—2019 को जवाब बन्द किया गया। इस संबंध में धारा 251 ए आरटीए के नियम 69 के पार्ट II में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि **The application shall be decided by the Sub Divisional Officer within 90 days from the date of application.** ऐसी स्थिति में अपीलांट् की यह आपत्ति की अदालत मातहत द्वारा जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है।

इसीप्रकार विद्वान अभिभाषक अपीलांट् की यह आपत्ति की अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते समय नियम 69 जिसमें अभिलिखित किया गया है कि मौका रिपोर्ट भू—अभिलेख निरीक्षक स्तर से कम के अधिकारी द्वारा नहीं की जावे व रिपोर्ट पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार की जावे, की पालना नहीं की गई है। इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न नजरी नक्शा व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के निर्देशों की पालना में आराजी जैर की **मौका रिपोर्ट दिनांक 26—02—2021 को भू—अभिलेख निरीक्षक व संबंधित पटवारी द्वारा मौके पर जाकर तैयार की गई है, उक्त रिपोर्ट पर भू—अभिलेख निरीक्षक व संबंधित पटवारी के हस्ताक्षर अंकित है।** जिससे साबित होता है कि

नियम 69 की पालना करते हुए मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। प्रकरण में जहॉ तक मौका रिपोर्ट पक्षकारों की उपस्थित में तैयार किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में हमारा अभिमत है कि चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सभी पक्ष जरिये अधिवक्ता निरन्तर उपस्थित आते रहे है तथा उन्हें अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही की तमाम जानकारी उपलब्ध थी। ऐसी स्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करते समय अपीलांट् का उपस्थित नहीं आना यह साबित करता है कि अपीलांट् स्वयं जानबूझकर तत्समय उपस्थित नहीं आये व अब अपील के स्तर पर इस तथ्य का फायदा उठाने चाहते है। जिसकी कानून अनुमति प्रदान नहीं करता है।

जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 251 ए के तहत प्रार्थना प्रस्तुत किये जाने पर धारा 251 ए के तहत मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute necessity) को ध्यान में रखते हुए रास्ता स्वीकृति के आदेश पारित किये जाने होते है। रास्ते के प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 69 के तहत उपखण्ड अधिकाारी संक्षिप्त जॉच के पश्चात् यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त रास्ता आत्याधिक आवश्यक है या नहीं? तथा यह भी कि उक्त रास्ता अन्य खातेदार (प्रत्यर्थी) की जोत में से होकर (विशेषकर जब आवेदन नये रास्तों के लिए हो) पहॅुचने के लिए अन्य कोई साधन नहीं है, तब इस प्रकार रास्तों के मामलों में धारा 251 (ए) के अनुसार उपखण्ड अधिकारी द्वारा **संक्षिप्त जॉच, आत्यांतिक आवश्यकता एवं सुविधा को** जाना महत्वपूर्ण है। अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार मौके की वास्तविक स्थिति की बिन्दुवार रिपोर्ट संबंधित तहसीलदार से प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 3 में अभिलिखित किया गया है कि **प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा उक्त भूमि में पूर्व मे भी कोई स्वीकृतशुदा रास्ता लगता नहीं है।** इसी प्रकार बिन्दु संख्या 5 में अभिलिखित किया गया है कि **प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नहीं है।** उक्त रिपोर्ट के आधार पर अदालत मातहत द्वारा यह पाये जाने पर कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उसकी आराजी चक 13 एमडब्ल्यूएम पत्थर नम्बर 110/365 में किला नम्बर 14 ता 17, 24 व 25 कुल 1.518 हेक्टर भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है, अपीलांट की खातेदारी भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 13 एमडब्ल्यूएम के पत्थर नम्बर 110/365 (8) के किला नम्बर 5—6 के पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण

दिशा की और 01—01 बिस्वा रास्ता किया गया है। जो धारा 251ए के प्रावधानों के तहत विधि सम्मत है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2019 पार्ट II पेज 1098 जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:

Rajasthan Tenancy Act, 1955 – Section 251 – A – New way ssanctioned from the land of the petitioners – No other way is available – Way sanctioned is proper – Concurrent findings of Courts below – held, interference declined. मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है।

प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत नियम 69 की पालना नहीं किये जाने से संबंधित है, जबकि प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत की पत्रावली के साथ संलग्न मौका रिपोर्ट व आदेशिकाओं के अवलोकन से साबित है कि अदालत मातहत द्वारा नियम 69 की पालना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत मामलें पर पूर्णतया चस्पा नहीं होते है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, पीलीबंगा का आदेश दिनांक 28—06—2021 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 20—12—2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर